

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2025—चैत्र 14, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार आत्मज स्व. रामानन्द, निवासी— क्वार्टर नं. 5/4, चौरासी क्वार्टर सेन्ट्रल मैस के पीछे छटवीं बटालियन, एस. ए.एफ., थाना रांझी, तहसील रांझी, जिला जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राजकुमार एवं पिता का नाम रामानन्द दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड एवं पेनकार्ड में मेरा नाम राज कुमार कुशवाहा एवं पिता का नाम रामानन्द कुशवाहा दर्ज है. मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम राज कुमार कुशवाहा एवं पिता का नाम रामानन्द कुशवाहा संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ. मुझे राज कुमार कुशवाहा एवं पिता रामानन्द कुशवाहा के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(राजकुमार)

(G-1313)

नया नाम

(राज कुमार कुशवाहा)

पिता—रामानन्द कुशवाहा.

नाम परिवर्तन

मैं, नवीन कुमार शर्मा आत्मज श्री विनोद कुमार शर्मा, पता—6वीं बटालियन, एस.ए.एफ., रांझी, जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम नवीन कुमार शर्मा पिता का नाम विनोद कुमार शर्मा एवं माता का नाम श्रीमती रमा देवी दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिचय-पत्र में मेरा नाम नवीन शर्मा पिता विनोद शर्मा दर्ज है तथा मेरी माता जी के आधार कार्ड में मेरी माता जी का नाम रामचन्द्री देवी दर्ज है. अतः मुझे नवीन शर्मा पिता का नाम विनोद शर्मा एवं माता का नाम रामचन्द्री देवी के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(नवीन कुमार शर्मा)

(G-1314)

नया नाम

(नवीन शर्मा)

माता—रामचन्द्री देवी.

नाम परिवर्तन

मैं, कौंति वाई चढ़ार आत्मज स्व. शिव चरण चढ़ार, निवासी—न्यू 48 क्वार्टर, क्वार्टर नंबर एच.बी. 13, छटवीं बटालियन, एस.ए.एफ. थाना रांझी, तहसील रांझी, जिला जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कौंति वाई चढ़ार दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कान्ति वाई चढ़ार दर्ज है. मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम कान्ति, वाई चढ़ार (KANTI BAI CHADAR) पिता शिव चरण चढ़ार (SHIV CHARAN CHADAR) संशोधित कर दर्ज कराना चाहती हूँ. मुझे कान्ति वाई चढ़ार पिता शिव चरण चढ़ार (SHIV CHARAN CHADAR) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(कौंति वाई चढ़ार)

(G-1315)

नया नाम

(कान्ति वाई चढ़ार)

पिता—शिव चरण चढ़ार.

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद अफजल आत्मज श्री रफीक अहमद, निवासी—18, साउथ सिविल लाइन, डिसलवा कम्पाउंड, कलचुरी होटल के पास, जबलपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मोहम्मद अफजल एवं पिता का नाम श्री रफीक अहमद दर्ज है. जबकि मेरे आधार कार्ड एवं पेनकार्ड एवं 12वीं अंकसूची में मेरा नाम मो. अफजल पिता श्री रफी अहमद दर्ज है. मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम मोहम्मद अफजल के स्थान पर मो. अफजल (MOHD. AFZAL) एवं पिता का नाम रफीक अहमद के स्थान पर रफी अहमद (RAFI AHMAD) संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः मुझे मो. अफजल (MOHD. AFZAL) एवं पिता नाम रफी अहमद (RAFI AHMAD) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(मोहम्मद अफजल)

(G-1316)

नया नाम

(मो. अफजल)

(MOHD. AFZAL)

पिता—रफी अहमद.

CHANGE OF NAME

I, am Swati Surange W/o. Shri Rajeev Surange, Resident of House No. BM-II-62, Sukhliya Bapat Square, Pandit Dindayal Upadhyay Nagar, Indore-452010. My former name was Ku. Anitha D/o shri A N Velayudhan, which has changed to Swati Surange W/o. shri Rajeev Surange. So that in my document Swati Surange W/o. Shri Rajeev Surange has been given to me to be known by this name.

Sincerely

(Swati Surange)

(G-1317)

W/o. Shri Rajeev Surange.

नाम परिवर्तन

मैं, राम नारायण सिंह आत्मज श्री रामा धार सिंह एवं पत्नी का नाम सम्भावती सिंह, मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपने आधार कार्ड एवं पत्नी के आधार कार्ड एवं समग्र आई.डी. के आधार पर अपना नाम रामनारायण सिंह एवं पिता का नाम रामाधार सिंह एवं पत्नी का नाम संभावती सिंह, अपने सर्विस रिकार्ड में संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ. इसी नाम से मुझे एवं मेरे पिता एवं मेरी पत्नी को जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(राम नारायण सिंह)

(G-1318)

नया नाम

(रामनारायण सिंह)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम दिनेश (DINESH) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में दर्ज है जबकि मेरे पिता सेवक जी द्वारा अपनी नगरनिगम की सर्विस रिकॉर्ड में मेरा घर का नाम तनु दर्ज है, जो कि मेरे परिवार के राशन कार्ड में दर्ज है. तनु और दिनेश मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः भविष्य में मुझे तनु के स्थान पर दिनेश के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(तनु)

नया नाम
(दिनेश)

पिता-सेवक

(G-1319)

निवासी-हुजरात रोड, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ प्रार्थी का सही नाम हरिओम सिंह (HARIOM SINGH) है. यही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेज, पेन कार्ड, वोटर कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड को अपडेट करवाते समय त्रुटिवश मेरा नाम सोनू शर्मा (SONU SHARMA) दर्ज हो गया है. सोनू शर्मा और हरिओम सिंह मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः इस नाम परिवर्तन सूचना के बाद मेरे उक्त आधार कार्ड में मेरा नाम हरिओम सिंह (HARIOM SINGH) पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सोनू शर्मा)
(SONU SHARMA)

नया नाम
(हरिओम सिंह)
(HARIOM SINGH)

S/o-RAMSAHAY SINGH

निवासी-ग्राम किशनपुरा, तहसील पोरसा,
सैंथरा अहीर, जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-1320)

नाम परिवर्तन

मैं, स्वेता रघुवंशी आत्मज अशोक रघुवंशी, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा अपने पति से विवाह विघटन होने के बाद मैं, अपनी बेटी जो मेरी संरक्षण में दी गई है. उसका नाम अनाया सागर कोटलवार था, उसे परिवर्तित कर अनाया एस रघुवंशी करवाना चाहती हूँ. उसके नाम कई दस्तावेजों में अनाया सागर कोटलवार (Anaaya Sagar Kotalwar), अनाया एस (Anaaya S) एवं अनाया शर्मा रघुवंशी (Anaaya Sharma Raghuvanshi) अंकित हो गया है. इस प्रकाशन के उपरांत मेरी पुत्री को सभी दस्तावेजों में अनाया एस रघुवंशी (Anaaya S Raghuvanshi) के नाम से ही पढ़ा-लिखा एवं पुकारा जाए.

प्रार्थिनी

(स्वेता रघुवंशी)

(G-1321)

पता-72/4, संविद नगर, कनाडिया रोड,
तिलकनगर, इंदौर (म.प्र.).

CHANGE OF SURNAME

I, Surendra Kumar Chowrey, Resident of 132 A-Sector, Sarvdharam Colony, Kolar Road, Bhopal have Changed my name from Surendra Kumar Chowrey to Surendra Kumar Chourey (Old Name Surendra Kumar Chowrey, New Name-Surendra Kumar Chourey). Hence in future I should be know and identified by the name of Surendra Kumar Chourey.

Old Name

(Surendra Kumar Chowrey)

(G-1322)

New Name

(Surendra Kumar Chourey)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम तपन कुमार हीरा (TAPAN KUMAR HIRA) पिता सुबल हीरा (SUBAL HIRA), लिखा व पढ़ा जाता था. जिसे बदलकर खोकन हीरा (KHOKAN HIRA) पिता सुबल हीरा (SUBAL HIRA) कर लिया है, जिसके बाद अब मुझे अपने परिवर्तित नाम खोकन हीरा (KHOKAN HIRA) पिता सुबल हीरा (SUBAL HIRA) से ही जाना व पहचाना जाये व मेरे द्वारा परिवर्तित नाम ही लिखा व उपयोग किया जायेगा.

पुराना नाम
(तपन कुमार हीरा)
(TAPAN KUMAR HIRA)

नया नाम
(खोकन हीरा)
(KHOKAN HIRA)
पिता-सुबल हीरा
पता-1350, अर्जुन वार्ड,
गांधी नगर, भोपाल (म.प्र.).

(G-1323)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अंजली विश्वकर्मा (ANJALI VISHWAKARMA) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरा सही नाम अंजली जैन (ANJALI JAIN) है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम अंजली जैन (ANJALI JAIN) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(अंजली विश्वकर्मा)
(ANJALI VISHWAKARMA)

नया नाम
(अंजली जैन)
(ANJALI JAIN)
पता-मकान नं.-114, दशमेश नगर,
नियर मस्जिद नवाब कॉलोनी,
गोविंदपुरा, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-1324)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं, रिज़वान हुसैन मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम मुजाईना (MUZAINA) गलत अंकित हो गया है. मेरी पुत्री का वास्तविक और सही नाम मदीहा (MADIHA) है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम मदीहा (MADIHA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(मुजाईना)
(MUZAINA)

नया नाम
(मदीहा)
(MADIHA)
पिता-श्री रिज़वान हुसैन
निवासी-380, ऐशबाग, ई.डब्ल्यू.एस. बस्ती,
हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-1325)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रणय पाठक पुत्र अशोक पाठक, निवासी-200/2, गणेश वार्ड न. 27, बैतूल (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश पर्णिका पाठक नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे जन्म प्रमाण-पत्र एवं शैक्षिक दस्तावेजों में भव्या पाठक (BHAVYA PATHAK) पुत्री प्रणय पाठक दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय व्यक्तिगत दस्तावेजों में भव्या पाठक (BHAVYA PATHAK) पुत्री प्रणय पाठक के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(पर्णिका पाठक)

नया नाम
(भव्या पाठक)
(BHAVYA PATHAK)

(G-1326)

पुत्री-प्रणय पाठक.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विश्वजीत सिंह वासु (Vishwajeet Singh Wasu) यह कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र में उसका बोलता नाम वान्या वासु (Vanya Wasu) दर्ज है. अतः राजपत्र प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को नये नाम अजूनी कौर वासु (Ajuni Kaur Wasu) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(वान्या वासु)
(Vanya Wasu)

नया नाम
(अजूनी कौर वासु)
(Ajuni Kaur Wasu)

(G-1327)

पिता-विश्वजीत सिंह वासु
माता-जसमीत कौर वासु
पता-म.नं. 301, ए ब्लॉक, शुभलाभ हाईट्स,
मालवीय नगर चौराहा, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुलेमान खान, निवासी-ग्राम व पोस्ट फूप, तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.). मेरे शासकीय दस्तावेजों में मेरे पत्नी का नाम श्रीमती (SHRIMATI) गलत अंकित हो गया है. जबकि उसका वास्तविक नाम सायरा (SAYARA) पत्नी सुलेमान खान, पुत्री शबीर खान है, जो कि उसके सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत उसे सही नाम सायरा (SAYARA) पत्नी सुलेमान खान के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

(G-1328)

प्रार्थी
(सुलेमान खान)
पिता-लतीफ खान.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के हाईस्कूल एवं इंटर की अंकसूची में नाम बलराज सिंह पन्नू पुत्र हीरा सिंह पन्नू तथा माँ का नाम परमजीत कौर पन्नू दर्ज है, जबकि आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम बॉबी पुत्र हीरा सिंह दर्ज है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही व वास्तविक नाम बलराज सिंह पन्नू पुत्र हीरा सिंह पन्नू है, जो कि सत्य व सही है. भविष्य में मेरा पुत्र बलराज सिंह पन्नू पुत्र हीरा सिंह पन्नू के नाम से ही जाना-पहचाना व पुकारा व पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे.

(G-1329)

प्रार्थी
(हीरा सिंह पन्नू)
पुत्र-श्री प्रेम सिंह पन्नू
निवासी-ग्राम रायतपुरा, रावतपुरा, भिण्ड (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म आनंद फर्नीचर्स, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0085/2023 व पंजीयन दिनांक 17 मई 2023 तथा पता—CC—92, स्कीम नं. 94, सेक्टर C, रेडिसन स्क्वायर, इंदौर, जिला इंदौर, फर्म एवं संस्थाएं, इंदौर संभाग से एक पंजीयत फर्म है, जिसमें प्रथम विलेख दिनांक 15 दिसम्बर 2022 के विलेख अनुसार फर्म में 2 भागीदार (1) श्री मोहित मनसुखानी (2) श्री गीत मनसुखानी थे. दिनांक 14 जून 2024 को फर्म के भागीदारों द्वारा फर्म का नाम बदलकर नया नाम ABM FURNITURES कर दिया है.

आनंद फर्नीचर्स

मोहित मनसुखानी

(भागीदार)

(G-1330)

पता—7, शास्त्री नगर, रतलाम (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मिरखू लोधी आत्मज स्व. दुजिया लोधी (Mirkhu Lodhi S/o. Late Dujiya Lodhi), निवासी—ग्राम सिजहरी, मोहनिया, राम पाटन, तहसील बहोरीबंद, कटनी (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सुगराम लोधी (Sugaram Lodhi) भूलवश दर्ज हो गया है क्योंकि मिरखू लोधी (Mirkhu Lodhi) एवं सुगराम लोधी (Sugaram Lodhi) मेरे ही नाम हैं तथा अब मुझे मिरखू लोधी (Mirkhu Lodhi) के नाम से जाना—पहचाना जावे, जो मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र, बैंक खाता एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन के उपरांत मेरे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम मिरखू लोधी (Mirkhu Lodhi) दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(मिरखू लोधी)

(Mirkhu Lodhi).

(G-1331)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष बाई पत्नी श्री जगन्नाथ प्रसाद तिवारी (Santosh Bai W/o. Shri Jagannath Prasad Tiwari), निवासी—वार्ड नं. 19, सुभाष नगर, बिलपुरा, बड़ा पत्थर, राँझी, जबलपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र/पुत्री आकाश तिवारी, पूर्णिमा तिवारी एवं दीपेश तिवारी के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम रेखा तिवारी (Rekha Tiwari) दर्ज है जो कि मेरे विवाह के उपरांत सामाजिक रिति—रिवाजों के अनुसार रखा गया था किंतु मेरा वास्तविक नाम संतोष बाई (Santosh Bai) है, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. उक्त दोनों संतोष बाई एवं रेखा तिवारी (Santosh Bai & Rekha Tiwari) मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन के उपरांत मुझे रेखा तिवारी (Rekha Tiwari) के स्थान पर मेरे वास्तविक नाम संतोष बाई (Santosh Bai) के नाम से जाना—पहचाना जावे एवं मेरे पुत्र/पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों तथा समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(संतोष बाई)

(Santosh Bai).

(G-1332)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रेणुका बाजपेयी पति धीरेन्द्र कुमार (Renuka Bajpaie W/o. Dheerendra Kumar) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे रेणु बाजपेयी पति धीरेन्द्र बाजपेयी, (Renu Bajpai W/o. Dhirendra Bajpai), के नाम से जाना—पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में अंकित किया जावे.

प्रार्थिनी

(रेणु बाजपेयी)

(Renu Bajpai)

(G-1333)

निवासी—सी/डब्ल्यू—154, जनता क्वार्टर,
सुखलिया, जिला इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शोभा जैन/शोभा देवी जैन पिता वर्धमान जैन (Shobha Jain/Shobha Devi Jain D/o Vardhman Jain) था जो मेरा पूर्व नाम था. शादी के बाद मेरा नाम बदलकर शोभना मेहता पति नवनीत मेहता (Shobhana Mehta W/o. Navneet Mehta) हो गया है, जो मेरे दस्तावेजों जैसे—आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड पर दर्ज है एवं उपरोक्त दोनों नाम शोभा जैन/शोभा देवी जैन पिता वर्धमान जैन (Shobha Jain/Shobha Devi Jain D/o. Vardhman Jain) एवं शोभना मेहता पति नवनीत मेहता (Shobhana Mehta W/o Navneet Mehta) एक ही महिला अर्थात् मेरे हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नए नाम शोभना मेहता पति नवनीत मेहता (Shobhana Mehta W/o. Navneet Mehta) से ही जाना—पहचाना, लिखा, पढ़ा व बोला जाये.

पुराना नाम

(शोभा जैन/शोभा देवी जैन)

पिता—वर्धमान जैन

नया नाम

(शोभना मेहता)

पति—नवनीत मेहता

निवासी—184 के स्कीम नं. 71/ए,

जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1334)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कराह फूड प्रोडक्ट के नाम से एक भागीदारी फर्म है, जिसका पंजी. क्र. 0017, दिनांक 27 मई 2020, ग्राम लोहगढ़ रोड, मुरैना (म.प्र.) की फर्म की रचना में दिनांक 15 नवम्बर 2024 को परिवर्तन हुआ है जो साझेदारी संशोधन निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य दिनांक 22 नवम्बर 2024 लिपिबद्ध किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

- (1) श्री गन्धर्व सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, उम्र, 51 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी—30/112, गायत्री कॉलोनी, गोपालपुरा, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.).
- (2) श्रीमती अनीता घुरैया पत्नी श्री योगेन्द्र घुरैया, उम्र 38 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी—5, ग्राम डांग का पुरा, पोस्ट कोतवाल, जिला मुरैना (म.प्र.).
- (3) श्री शैलेन्द्र पुत्र श्री रघुराज सिंह घुरैया, उम्र 25 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी—5, ग्राम डांग का पुरा, पोस्ट कोतवाल, जिला मुरैना (म.प्र.).
- (4) श्रीमती कंचन पत्नी श्री सुधीर घुरैया, उम्र 27 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी—5, ग्राम डांग का पुरा, पोस्ट कोतवाल, जिला मुरैना (म.प्र.).

अतः उक्त फर्म में आपसी सहमति से नये भागीदार बनाये गये हैं.

भवदीय

मेसर्स कराह फूड प्रोडक्ट

गन्धर्व सिंह

(भागीदार).

(G-1335)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मेरे दस्तावेजों जैसे—आधार कार्ड, मतदाता परिचय—पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती जसोदी पति बंशीलाल दर्ज है. मेरे राजस्व दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती जसोदी बाई पति बंशीलाल दर्ज है. प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती जसोदी बाई पति बंशीलाल के नाम से जाना एवं पहचाना जाए. इसी नाम का उल्लेख मेरे समस्त दस्तावेजों में किया जाए.

पुराना नाम

(जसोदी)

पति—बंशीलाल

नया नाम

(जसोदी बाई)

पति—बंशीलाल

(G-1336)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपक गोडले, मेरे दस्तावेजों में मेरा उपनाम गोडले दर्ज है, अतः मेरी माता के शैक्षणिक दस्तावेजों में अनीता राजपूत दर्ज है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरी माता अनीता राजपूत के नाम में जो उपनाम राजपूत दर्ज है उसी उपनाम को मेरे नाम दीपक राजपूत से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(दीपक गोडले)
(DEEPAK GONDLY)

नया नाम
(दीपक राजपूत)
(DEEPAK RAJPUT)

माता-अनीता राजपूत
पिता-श्री समगजन कार गोडले
पता-139, ओल्ड अशोका गार्डन,
गोविन्दपुरा, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-1337)

नाम परिवर्तन

मैं, हरीश कुमार नारयानी पुत्र श्री बिशम लाल, निवासी-म.नं. 12, प्रियदर्शिनी प्रेस्टिन सनखेड़ी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे पासपोर्ट में त्रुटिवश हरी राम नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों पर हरीश कुमार नारयानी नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय-व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम हरीश कुमार नारयानी पुत्र श्री बिशम लाल से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(हरी राम)

नया नाम
(हरीश कुमार नारयानी)

पुत्र-श्री बिशम लाल.

(G-1338)

नाम परिवर्तन

मैं, धर्मेन्द्र चौरसिया (Dharmendra Chourasiya) निवासी-152, न्यू राजीव नगर, सेमरा कलां, चांदबढ़, हुजूर, भोपाल का पूर्व नाम धर्मेन्द्र चौरसिया (Dharamandra Chaurasiya) था. अब मुझे नये नाम धर्मेन्द्र चौरसिया (Dharmendra chourasiya) से जाना व पहचाना जाए.

प्रार्थी

(धर्मेन्द्र चौरसिया)

पुत्र-श्री रमेश चौरसिया.

(G-1339)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शकुन्तला अग्रवाल (SHAKUNTALA AGRAWAL) पति बंसत कुमार अग्रवाल, निवासी-वार्ड नं. 07, दीनाजी का चौराहा, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम शकुन्तला अग्रवाल दर्ज है जो सही है. त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में शकुन अग्रवाल हो गया है जो गलत है. प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरा सही नाम शकुन्तला अग्रवाल के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा और दर्ज किया जाए.

प्रार्थिनी

(शकुन्तला अग्रवाल)

(SHAKUNTALA AGRAWAL).

(G-1340)

CHANGE OF NAME

I, RAJ BARDHAN ABHISHEK hereby declare that I have changed my name as RAJVARDHAN SANDILYA so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name

New Name

(RAJ BARDHAN ABHISHEK)**(RAJVARDHAN SANDILYA)**

(G-1341)

Address :- 101, Ratan Ganga Complex,
Sapna Sangeeta Road, Infront of Gujrat Sweet,
Tower Square, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, उर्मिला पटेल पत्नी श्री नकछेदी पटेल, निवासी-बमुरी कोठार, सीधी (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश भुअरी पटेल (BHUARI PATEL) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड पर उर्मिला पटेल (URMILA PATEL) पत्नी श्री नकछेदी पटेल नाम दर्ज है, जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम उर्मिला पटेल (URMILA PATEL) पत्नी श्री नकछेदी पटेल से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(भुअरी पटेल)

(उर्मिला पटेल)

(BHUARI PATEL)**(URMILA PATEL)**

(G-1342)

पत्नी- श्री नकछेदी पटेल.

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेम नारायण आत्मज श्री देवीराम, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र, वर्तमान के आधार कार्ड में मेरा नाम दयाराम अंकित है एवं मेरे पूर्व के आधार कार्ड, पहचान-पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड इत्यादि में मेरा नाम प्रेम नारायण दर्ज है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं, अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम दयाराम के स्थान पर प्रेम नारायण पढ़ा जाये.

पुराना नाम

नया नाम

(दयाराम)

(प्रेम नारायण)

(G-1343)

निवासी-मकान नंबर-285, ग्राम घाटपलासी,
तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पहचान-पत्र एवं सभी दस्तावेजों में शिवलाल नागर आ. हरलाल नागर, निवासी-ग्राम ऊँकारपुरा, पोस्ट मवासा, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.). अंकित है, जो कि सही है किन्तु मेरे आधार कार्ड में नाम कैलाशनारायण धाकड़ पिता हरलाल नागर अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत आधार कार्ड में मेरा सही नाम शिवलाल नागर आ. हरलाल नागर लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(शिवलाल नागर)

(G-1344)

पुत्र-हरलाल नागर.

नाम परिवर्तन

मैं, शीना पटेल (SHINA PATEL) पिता भगवान पटेल, निवासी-ग्राम पॉचोर, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम SHINA PATEL लिखा गया है, जबकि मेरे आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण-पत्र में सानिया पटेल (SANIYA PATEL) नाम का उल्लेख है। मुझे शीना पटेल (SHINA PATEL) के नाम से जाना-पहचाना जाता है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में सानिया पटेल को शीना पटेल एवं अंग्रेजी में लिखे SANIYA PATEL को SHINA PATEL के नाम से लिखा-पढ़ा व दर्ज किया जावे एवं SHINA PATEL के नाम से ही जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम (सानिया पटेल) (SANIYA PATEL) (G-1345)	नया नाम (शीना पटेल) (SHINA PATEL)
---	---

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम शिशान्त सोनी पिता सुभाषचन्द्र सोनी अंकित है, जो कि गलत है, जबकि वर्तमान में मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट व ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम शिशान्त सराफ पिता सुभाषचन्द्र सोनी नाम अंकित है, जो कि सही है एवं मुझे मेरे वर्तमान दस्तावेजों के आधार पर शिशान्त सराफ पिता श्री सुभाषचन्द्र सोनी के नाम से जाना व पहचाना जाता है, जो सही व सत्य है।

पुराना नाम (शिशान्त सोनी) (G-1346)	नया नाम (शिशान्त सराफ) पिता-सुभाषचन्द्र सोनी निवासी-नवरंग पार्क कालोनी, एम.आई.जी. 16, बिरला रोड, सतना (म.प्र.).
--	---

नाम परिवर्तन

मैं, यासमीन खान पत्नी श्री ताहिर, निवासी-डी-1/164, दानिश नगर, होशंगाबाद मार्ग के पास, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम यासमीन खान पत्नी श्री ताहिर अंकित है, जबकि मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम यासमीन नौशाद पुत्री श्री नौशाद खान अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। मेरा मेरे पति ताहिर मोहम्मद खान पिता श्री सगीर मोहम्मद खान से तलाक होने के उपरान्त मैं अपना नाम यासमीन नौशाद पुत्री श्री नौशाद खान परिवर्तित कर रही हूँ, भविष्य में मुझे यासमीन नौशाद पुत्री श्री नौशाद खान इसी नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

पुराना नाम (यासमीन खान) (G-1347)	नया नाम (यासमीन नौशाद)
--	---------------------------

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धीरप सिंह पुत्र रघु नाथ, निवासी-उमरया खुर्द, पो. बटावदा, तह. चाचौड़ा, जिला गुना (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम उधम सिंह पुत्र रूगनाथ दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में भी मेरा नाम धीरप सिंह पुत्र रघु नाथ दर्ज है, जो कि सही एवं सत्य है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम धीरप सिंह (Dheerap Singh) पुत्र रघु नाथ (Raghu Nath) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (उधम सिंह) पुत्र-रूगनाथ (G-1348)	नया नाम (धीरप सिंह) (Dheerap Singh) पुत्र-रघु नाथ (Raghu Nath)
--	--

नाम परिवर्तन

मैं, अनमोल पाण्डेय, निवासी-सी-20, प्राईड सिटी, कटारा हिल्स, बागमुगालिया, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). कि मेरे शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम अनमोल पाण्डेय पुत्र संतोष पाण्डेय लिखा है, जबकि मेरे पिता जी के सेवा रिकार्ड में मेरा नाम अनमोल पाण्डेय एवं पिता जी का नाम संतोष कुमार पाण्डेय लिखा है. संतोष पाण्डेय एवं संतोष कुमार पाण्डेय दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं जो कि मेरे स्व. पिता जी के हैं. इसी नाम से मेरा आधार कार्ड एवं पेन कार्ड, समग्र आईडी एवं अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है.

प्रार्थी

(अनमोल पाण्डेय)

(G-1349)

पिता-स्व. श्री संतोष कुमार पाण्डेय.

नाम परिवर्तन

मैं, प्रणय गोस्वामी पुत्र तपिस गिर, निवासी-मेहता ग्वारी, जिला सिवनी (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश रोहित गोस्वामी दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि मेरे शैक्षिक दस्तावेजों, मूल निवासी, समग्र आई.डी. और अन्य दस्तावेजों में प्रणय गोस्वामी (PRANAY GOSWAMI) पुत्र तपिस गिर दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में प्रणय गोस्वामी (PRANAY GOSWAMI) पुत्र तपिस गिर के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रोहित गोस्वामी)

(G-1350)

नया नाम

(प्रणय गोस्वामी)

(PRANAY GOSWAMI)

पुत्र-तपिस गिर.

नाम परिवर्तन

मैं, विमला गोस्वामी पत्नी तपिस गिर, निवासी-मेहता ग्वारी, जिला सिवनी (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश यश गोस्वामी दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण-पत्र में अनिरुद्र गोस्वामी (ANIRUDH GOSWAMI) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय /व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में अनिरुद्र गोस्वामी (ANIRUDH GOSWAMI) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(विमला गोस्वामी)

(G-1351)

पत्नी-तपिस गिर.

नाम परिवर्तन

मैं, दिया बाई पत्नी प्रकाश लाल झारिया, निवासी-म.नं. 91/1, शारदा नगर रांझी, वार्ड क्र. 62, जिला जबलपुर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश दीपा दर्ज है जो कि गलत है, जबकि मेरे विद्युत कनेक्शन और अन्य दस्तावेजों में दिया बाई (DIYABAI) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में दिया बाई (DIYABAI) पत्नी प्रकाश लाल झारिया, के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(दीपा)

(G-1352)

नया नाम

(दिया बाई)

(DIYABAI)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्री देवी जैन (Shree Devi Jain) पत्नी स्व. श्री निर्मल कुमार जैन निवासी-वार्ड क्रमांक 21, पुरानी कलारी गली नं. 1, खरी फाटक, नजदीक मोहन नमकीन, विदिशा (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश श्री बाई अंकित हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम श्री देवी है, जो मेरे पति के शासकीय प्रपत्रों में भी अंकित है, अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम 'श्री देवी जैन' के नाम से ही जाना, पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे.

प्रार्थिनी

(श्री देवी जैन)

(G-1353)

पत्नी-स्व. श्री निर्मल कुमार जैन.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमा देवी पत्नी स्व. श्री रामनारायण तिवारी, वार्ड क्र. 07, नगर परिषद् कर्रापुर, थाना बहेरिया, तहसील सागर, जिला सागर, मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी हूँ, मेरा नाम रमा देवी मेरे मतदाता परिचय-पत्र में दर्ज है जो सही है जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रामरती गलत दर्ज हो गया है. मेरा वास्तविक नाम रमा देवी है. मुझे रमा देवी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(रामरती)

(रमा देवी)

(G-1354)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा नाम शकुंतला पति स्व. चन्द्रसिंह आधार कार्ड में त्रुटिवश अंकित हो गया है एवं मेरा वास्तविक नाम शकु बाई (shaku bai). मेरे परिचय पत्र पर दर्ज है. प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे वास्तविक नाम शकु बाई (shaku bai) पति स्व. चन्द्रसिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये.

प्रार्थिनी

(शकु बाई)

(G-1355)

पति-स्व. चन्द्रसिंह

पता-113, न्यू गोविन्द नगर,
कुम्हार खाडी, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहन सिंह मीना आत्मज-श्री ओमप्रकाश मीना निवासी-ग्राम आंवरिया तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.). गुड़िया मीना मेरी पुत्री है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम माही मीना है. अतः मेरी पुत्री का नाम शाला के रिकार्ड में गुड़िया मीना के स्थान पर माही मीना अंकित किया जाये तथा अब माही मीना के नाम से जाना जाए.

प्रार्थी

(मोहन सिंह मीना)

(G-1356)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री सेजल पुत्री जितेन्द्र सिंह, निवासी-देवरीकलां, भिण्ड में निवासरत् है, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश सेजल चौहान अंकित हो गया है, जो कि गलत है, सेजल एवं सेजल चौहान एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सेजल पुत्री जितेन्द्र सिंह के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(G-1357)

(जितेन्द्र सिंह)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र अभय सोनी पिता संजय सोनी, निवासी-लक्ष्मण तलैया शिंदे की छावनी लश्कर, ग्वालियर. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश अजय सोनी अंकित हो गया है, जो कि गलत है, अभय सोनी एवं अजय सोनी एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अभय सोनी पुत्र श्री संजय सोनी के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(G-1358)

(संजय सोनी)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र हर्ष प्रताप सिंह भदौरिया पिता करन सिंह भदौरिया, निवासी-कांच मिल, बिरला नगर, ग्वालियर. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश हर्ष वर्धन सिंह भदौरिया अंकित हो गया है, जो कि गलत है. हर्ष प्रताप सिंह भदौरिया एवं हर्ष वर्धन सिंह भदौरिया एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में हर्ष प्रताप सिंह भदौरिया पिता करन सिंह भदौरिया के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(G-1359)

(करन सिंह भदौरिया)

नाम परिवर्तन

जन्म के समय मेरे पुत्र का नाम मोक्ष जय (Moksh J) रखा गया था जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड में भी अंकित है. अब, मैंने मेरे पुत्र का नाम मोक्ष जय (Moksh J) से परिवर्तित कर लिखित जय (Likith J) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत से मेरे पुत्र का नाम लिखित जय (Likith J) पुत्र श्री जयशंकर बी के नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा.

प्रार्थी

(G-1360)

(जयशंकर बी)

पुत्र-श्री बायरप्पा,

निवासी-96/41, टी-तुलसी नगर,

सेकेण्ड स्टाफ, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निरन सिंह (NIRAN SINGH S/o LAKHAN SINGH), निवासी-ग्राम असदखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.) का निवासी हूँ, मेरी पुत्री आयुषी (AYUSHI) के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अशासधा बाई (ASHASDHA BAI) अंकित हो गया था, जबकि उसका वास्तविक नाम आयुषी (AYUSHI) है, जो कि वह अब भविष्य में अपने वास्तविक नाम आयुषी (AYUSHI) के नाम से जानी जायेगी. उसका नाम भविष्य में सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में आयुषी (AYUSHI) लिखा एवं सम्बोधित किया जावेगा.

आवेदक

(G-1361)

(निरन सिंह)

पुत्र-लखन सिंह.

नाम परिवर्तन

मैं, दीपिका ठाकरे पति श्री मनोज ठाकरे, निवासी-400, बाल विहार, आनंद नगर, भोपाल (म.प्र.). आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम हिंदी में दुष्टि ठाकरे अंकित है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम दृष्टि ठाकरे है. अतः प्रकाशन के उपरांत मेरी पुत्री का हिंदी में सही नाम दृष्टि ठाकरे से जाना-पहचाना एवं पढ़ा-लिखा, दर्ज किया जाये.

प्रार्थिनी

(G-1362)

(दीपिका ठाकरे)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम उज्जवलसिंह पटेल पिता मनोहरसिंह पटेल है, निवासी-27 ग्राम, जामंदा, पोस्ट तोरनोद, तहसील धार, जिला धार (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में सही व वास्तविक नाम उज्जवलसिंह दर्ज है. जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश जुगल नाम अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः मेरे पुत्र का पूर्ण नाम उज्जवलसिंह पटेल है, उसे भविष्य में इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जाये. जो सत्य एवं सही है.

पुराना नाम

नया नाम

(जुगल)

(उज्जवलसिंह पटेल)

(G-1363)

पिता-मनोहरसिंह पटेल.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री गार्गी शर्मा के शैक्षणिक दस्तावेज में एवं उसके जन्म प्रमाण-पत्र पर मेरा आम बोलचाल का नाम मेघा शर्मा (MEGHA SHARMA) अंकित हो गया है. मेरा वास्तविक नाम प्रियंका शर्मा (PRIYANKA SHARMA) है, जो कि मेरे दस्तावेज जैसे-आधार कार्ड पर दर्ज व अंकित है. उपरोक्त दोनों ही नाम एक ही महिला के होकर मेरे ही हैं अतः प्रकाशन उपरांत वर्तमान और भविष्य में मेरे वास्तविक नाम प्रियंका शर्मा (PRIYANKA SHARMA) से मुझे जाना व पहचाना जाये.

प्रार्थिनी

(प्रियंका शर्मा)

पति-पवन शर्मा,

(G-1364)

निवासी-106, परिहार कॉलोनी,
एरोडम रोड, बिजासन, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री परिधी शर्मा के शैक्षणिक दस्तावेज में एवं उसके जन्म प्रमाण-पत्र पर मेरा आम बोलचाल का नाम मेघा शर्मा (MEGHA SHARMA) दर्ज व अंकित हो गया है. मेरा वास्तविक नाम प्रियंका शर्मा (PRIYANKA SHARMA) है, जो कि मेरे दस्तावेज जैसे-आधार कार्ड पर दर्ज व अंकित है. उपरोक्त दोनों ही नाम एक ही महिला के होकर मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन उपरांत वर्तमान और भविष्य में मेरे वास्तविक नाम प्रियंका शर्मा (PRIYANKA SHARMA) से मुझे जाना व पहचाना जाये.

प्रार्थिनी

(प्रियंका शर्मा)

पति-पवन शर्मा,

निवासी-106, परिहार कॉलोनी,

एरोझम रोड, बिजासन, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1365)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती छग्गा बाई पत्नी श्री थान सिंह ठाकुर, निवासी-छिंदगांव मौजी, सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम गुड्डू पुत्र थान सिंह ठाकुर दर्ज हो गया है जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम मोहित सिंह (Mohit Singh) पुत्र थान सिंह ठाकुर है जो कि सत्य एवं सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम मोहित सिंह (Mohit Singh) पुत्र थान सिंह ठाकुर के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(गुड्डू)

नया नाम

(मोहित सिंह)

(Mohit Singh)

पुत्र-थान सिंह ठाकुर

(G-1366)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रदीप गाँगुली, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड/सेवा अभिलेख में मेरा नाम प्रदीप कुमार गाँगुली आत्मज स्व. श्री अमल कुमार गाँगुली (Pradeep Kumar Ganguly) लिखा जा रहा है, जो कि गलत है. मेरा सही व वास्तविक नाम प्रदीप गाँगुली (Pradip Ganguly) आत्मज स्व. श्री अमल कुमार गाँगुली है, जो कि मेरे अन्य शासकीय अभिलेखों यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी एवं पासपोर्ट में दर्ज है. अतएव मुझे मेरे सही एवं वास्तविक नाम प्रदीप गाँगुली (Pradip Ganguly) आत्मज स्व. श्री अमल कुमार गाँगुली से जाना एवं पहचाना जावे तथा मेरे शासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(प्रदीप कुमार गाँगुली)

(Pradeep Kumar Ganguly)

(G-1367)

नया नाम

(प्रदीप गाँगुली)

(Pradip Ganguly)

नाम परिवर्तन

मेरे शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर सेवा अभिलेख में नाम रघुनन्दन प्रसाद पाठक अंकित है, जबकि अन्य समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, समग्र आईडी, पैन कार्ड, वोटर आईडी एवं अन्य दस्तावेज में मेरा नाम रघुनन्दन पाठक अंकित है और मेरा यही नाम प्रचलित होकर मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे रघुनन्दन पाठक के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(रघुनन्दन पाठक)

(G-1368)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम राकेश अहिरवार आत्मज श्री रामअवतार है, यह नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेज, शासकीय अभिलेख, पेनकार्ड, आधार कार्ड व मतदाता परिचय-पत्र इत्यादि विधिक दस्तावेजों में दर्ज है तथा मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ, मैंने अपना नाम राकेश अहिरवार से राकेश कुमार गौतम में परिवर्तन कर लिया है तथा उपरोक्त दोनों नाम मुझे एक ही व्यक्ति के नाम से परिवर्द्ध हैं तथा भविष्य में, मैं, अब राकेश कुमार गौतम के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम

(राकेश अहिरवार)

(G-1369)

नया नाम

(राकेश कुमार गौतम)

आत्मज-श्री रामअवतार

निवासी-जी, 122/54, शिवाजी नगर, भोपाल.

नाम परिवर्तन

मैं, अजय सिंह शक्तावत पिता स्व. हरिसिंह शक्तावत के नाम से जाना व पहचाना जाता था. मैंने अपना नाम संशोधित करवा लिया है, और अब मुझे अजय हरिसिंह शक्तावत पिता स्व. हरिसिंह शक्तावत (AJAY HARISINGH SHAKTAWAT) के नाम से जाना-पहचाना जाएगा. भविष्य में मेरे द्वारा अजय हरिसिंह शक्तावत पिता स्व. हरिसिंह शक्तावत (AJAY HARISINGH SHAKTAWAT) का ही उपयोग किया जाएगा.

पुराना नाम

(अजय सिंह शक्तावत)

(G-1370)

नया नाम

(अजय हरिसिंह शक्तावत)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तरुण पाटीदार पिता भेरो सिंग, निवासी-ग्राम बेरछी, जिला-शाजापुर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम तेजकारण पिता भेरोसिंग दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम तरुण पाटीदार पिता भेरो सिंग है जो कि सही एवं सत्य है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम तरुण पाटीदार पिता भेरो सिंग के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(तेजकारण)

(G-1371)

नया नाम

(तरुण पाटीदार)

पिता-भेरो सिंग.

नाम परिवर्तन

मेरा जन्म से मूल नाम अंतिमबाला भंसाली है, शैक्षणिक दस्तावेजों में भी मेरा नाम अंतिमबाला भंसाली ही है, लेकिन विवाह के पश्चात् मेरा नाम परिवर्तित कर अनिशा पगारिया हो गया है. दस्तावेजों में भिन्नता होने से भ्रम हो रहा है, इस कारण मुझे अपने मूल नाम अंतिमबाला भंसाली से ही जाना जावे. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे अनिशा पगारिया के बजाय अंतिमबाला भंसाली के नाम से जाना जावे.

प्रार्थिनी

(अंतिमबाला भंसाली)

(G-1372)

निवासी-29, विकास नगर विस्तार,

14/2, नीमच, जिला-नीमच.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स रियल बिल्डकान फर्म जिसका पता-56, न्यू देवास रोड, इन्दौर है। जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00106/10, दिनांक 4 सितम्बर 2010 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री लोकेन्द्र पंवार पिता श्री बद्रीलाल पंवार 2. श्री महेंद्र पंवार पिता श्री बद्रीलाल पंवार थे। तत्पश्चात् दिनांक 25 जनवरी 2022 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री रजत पंवार पिता श्री रामप्रसाद पंवार भागीदारी फर्म मेसर्स रियल बिल्डकान में सम्मिलित हो गये हैं। तत्पश्चात् दिनांक 2 फरवरी 2024 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री महेंद्र पंवार पिता श्री बद्रीलाल पंवार भागीदारी फर्म मेसर्स रियल बिल्डकान से पृथक् हो गए हैं। तत्पश्चात् दिनांक 2 सितम्बर 2024 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री श्यामलाल पंवार पिता श्री रामेश्वर पंवार भागीदारी फर्म मेसर्स रियल बिल्डकान में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 3 सितम्बर 2024 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री रजत पंवार पिता श्री रामप्रसाद पंवार भागीदारी फर्म मेसर्स रियल बिल्डकान से पृथक् हो गए हैं। पृथकीय भागीदारों ने फर्म रियल बिल्डकान से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है। फर्म का पता-दिनांक 25 जनवरी 2022 से एल.जी.-76, श्री वर्धन काम्प्लेक्स, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर हो गया है।

तर्फ

मेसर्स रियल बिल्डकान

1. श्री लोकेन्द्र पंवार
2. श्री श्यामलाल पंवार
(भागीदार)।

(G-1373)

उपनाम परिवर्तन

मैं, सुमित मालवीय आत्मज प्रकाशचंद्र मालवीय, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय तथा अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सुमित मालवीय आत्मज प्रकाशचंद्र मालवीय अंकित है। मैं, अपना कुलनाम परिवर्तित कर गोत्र के अनुसार शर्मा (सुमित शर्मा आत्मज प्रकाशचंद्र मालवीय) करवाना चाहता हूँ, सुमित मालवीय एवं सुमित शर्मा एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरान्त के मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में सुमित शर्मा आत्मज प्रकाशचंद्र मालवीय के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम

(सुमित मालवीय)

(G-1374)

नया नाम

(सुमित शर्मा)

आत्मज-प्रकाशचंद्र मालवीय

पता-C-15, श्रीराम कुन्ज श्री राम कालोनी,
होशंगाबाद रोड, भोपाल.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम जन्म प्रमाण-पत्र में कृष्णा और पिता का नाम शेखर सिंह दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड, समग्र आई.डी. में वेदांश राठौर पिता शेखर राठौर दर्ज है। अतः भविष्य में मेरे पुत्र को वेदांश राठौर पिता शेखर सिंह के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

प्रार्थिनी

पूजा राठौर

पता-म.नं. 96, ग्राम माधवपुरा,

मक्सी रोड, उज्जैन सिटी,

उज्जैन (म.प्र.).

(G-1375)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म इन्द्रा स्टोन्स क्रेसर, जो ओम टाबर पंचवटी कॉलोनी, बहोडापुर, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है। जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0160/17 दिनांक 11 सितम्बर 2017 है जिसमें दिनांक 28 दिसम्बर 2018 को भागीदार श्री मुकेश मित्तल पुत्र श्री मुन्शी लाल, निवासी-मित्तल कॉलोनी, बारी रोड धौलपुर, राजस्थान एवं श्रीमती इन्द्रा मंगल पत्नी स्व. श्री दिनेश चन्द्र मंगल, निवासी-8, जवाहर नगर कॉलोनी, धौलपुर, राजस्थान अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 28 दिसम्बर 2018 को श्री मुनेन्द्र कुमार मंगल पुत्र स्व. श्री दिनेश चन्द्र मंगल, निवासी-8, जवाहर नगर कॉलोनी स्टेशन रोड, धौलपुर, राजस्थान एवं श्री कमलेश प्रसाद पुत्र श्री कैलाश प्रसाद, निवासी-जी.एल. 582, के.डी. डी. नगर, ग्वालियर एवं श्री तारा चंद शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, निवासी-48, गांव मैरथा भरतपुर राजस्थान, फर्म में नवीन भागीदारी के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। एवं इसमें दिनांक 18 जनवरी 2024 को भागीदार श्री कमलेश प्रसाद पुत्र श्री कैलाश प्रसाद, निवासी- जी.एल. 582, के.डी.डी. नगर, ग्वालियर (म.प्र.) एवं श्री तारा चंद शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, निवासी-48, गांव मैरथा, भरतपुर, राजस्थान अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं। दिनांक 15 मार्च 2024 को श्री रामनरेश सिंह परमार पुत्र श्री मुन्ना सिंह परमार, निवासी-बोहडापुर, पंचवटी बस्ती, ए.बी. मार्ग, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदारों के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। एवं दिनांक 9 अगस्त 2024 को श्री मुनेन्द्र कुमार मंगल पुत्र स्व. श्री दिनेश चन्द्र मंगल, निवासी-8, जवाहर नगर कॉलोनी, स्टेशन रोड, धौलपुर, राजस्थान अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं।

फर्म-इन्द्रा स्टोन्स क्रेसर

श्री गिराज सिंह परमार

(भागीदार)

पता-ओम टाबर पंचवटी कॉलोनी,

बहोडापुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1376)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मैं, आयुषी कोरी पुत्री स्व. श्री चमनलाल कोरी, निवासी-235, देशवाली मोहल्ला, पीपल चौराहा, करोंद भोपाल (म.प्र.). मेरे समस्त दस्तावेज जिनमें समग्र आई.डी. में आयुषी कोरी एवं जाति प्रमाण-पत्र में मेरा नाम आयुषी कोरी एवं आधार कार्ड में भी मेरा नाम आयुषी कोरी एवं जन्म प्रमाण-पत्र में भी मेरा नाम आयुषी कोरी लिखा हुआ है। मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम आयुषी उपरालिया लिखा हुआ है, जो गलत है। यह कि मेरा वास्तविक नाम आयुषी कोरी है, जिसे सुधार कर मुझे आयुषी कोरी के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम

(आयुषी उपरालिया)

(G-1377)

नया नाम

(आयुषी कोरी)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुहागरानी जैन (Suhagrani Jain) पत्नी स्व. श्री कोमल चंद जैन (Komal Chand Jain) निवासी-42, महावीर वार्ड पथरिया, जिला दमोह (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड-दस्तावेजों में मेरा नाम चंदा बाई जैन (Chanda Bai Jain) पत्नी श्री कोमल जैन (Komal Jain) अंकित है किंतु अब मैं, अपना नाम परिवर्तित कर सुहागरानी जैन (Suhagrani Jain) पत्नी स्व. श्री कोमल चंद जैन (Komal Chand Jain) कराना चाहती हूँ, अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सुहागरानी जैन (Suhagrani Jain) पत्नी स्व. श्री कोमल चंद जैन (Komal Chand Jain) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना,समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(चंदा बाई जैन)

(Chanda Bai Jain)

(G-1378)

नया नाम

(सुहागरानी जैन)

(Suhagrani Jain)

पत्नी-श्री कोमल जैन

(Komal Jain)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती बड़े आशा शिवाजी पत्नी श्री उद्धव भगवान बिनवड़े, वर्तमान निवासी-क्वार्टर नं.-बी-2-42, ए.ए.आई. कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे समस्त दस्तावेजों एवं सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम बड़े आशा शिवाजी दर्ज है. मेरी पुत्रियों के जन्म प्रमाण-पत्र में मेरा नाम श्रीमती आशा उद्धव बिनवड़े दर्ज है. श्रीमती आशा उद्धव बिनवड़े एवं बड़े आशा शिवाजी (Bade Asha Shivajee) दोनों ही नाम मेरे स्वयं के हैं. बड़े आशा शिवाजी मेरा सही नाम है. अतः राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत, सभी शासकीय/अशासकीय, स्कूल एवं सभी दस्तावेजों में मुझे बड़े आशा शिवाजी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(आशा उद्धव बिनवड़े)

(बड़े आशा शिवाजी)

(G-1379)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मी बाई पत्नी स्व. अमृतलाल सतेरिया, निवासी-ग्राम गुंदरई, तह. सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम लच्छो बाई अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम लक्ष्मी बाई है जो कि मेरे अन्य सभी दस्तावेजों में दर्ज है. अतः राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत, सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे लक्ष्मी बाई नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(लच्छो बाई)

(लक्ष्मी बाई)

(LACHCHHO BAI)

(LAXMI BAI)

(G-1380)

नाम परिवर्तन

मैं, कालूराम गौर (KALURAM GOUR) पुत्र श्री चुन्नी लाल गौर निवासी-रूनाहा, भोपाल (म.प्र.). मेरा पूर्व नाम कालू राम (KALU RAM) है, जो कि मेरे पूर्व के आधार कार्ड में अंकित है एवं मेरा वर्तमान नाम कालूराम गौर (KALURAM GOUR) पुत्र श्री चुन्नी लाल गौर है, जो कि मेरे अन्य शासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, जो कि मेरा ही नाम है. उक्त दोनों नाम अर्थात् कालूराम गौर (KALURAM GOUR) एवं कालू राम (KALU RAM) मेरे स्वयं के ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम कालूराम गौर (KALURAM GOUR) पुत्र श्री चुन्नी लाल गौर पढ़ा, समझा, लिखा व जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(कालू राम)

(कालूराम गौर)

(KALU RAM)

(KALURAM GOUR)

(G-1381)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. ऋषि कन्सट्रक्शन (M/S RISHI CONSTRUCTION) के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्र. 04/17/03/0158/22 दिनांक 26 अगस्त 2022 है. इस फर्म से दिनांक 4 फरवरी 2025 से एक भागीदार (1) श्री अमित यादव पिता श्री रघुनन्दन यादव निवासी-वार्ड नं. 11, पुलिस स्टेशन के सामने, पिपरिया रोड, परासिया तह. परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 4 फरवरी 2025 से एक भागीदार (1) श्री ऋषि यादव पिता श्री अमित यादव, निवासी-वार्ड नं. 11, पुलिस स्टेशन के सामने, पिपरिया रोड, परासिया, तह. परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रहे हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 4 फरवरी 2025 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस वार्ड नं. 11, पुलिस स्टेशन के पास, परासिया, तह. परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

ऋषि कन्सट्रक्शन

राखी यादव

(भागीदार)

(G-1382)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मी नारायण शर्मा (Laxmi Narayan. Sharma) पुत्र बट्टी प्रसाद शर्मा, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा (Laxmi Narayan. Sharma) पुत्र बट्टी प्रसाद शर्मा है, जो कि सही है परंतु मेरे शेर्यर्स एवं कुछ दस्तावेजों में त्रुटि से मेरा नाम एल.एन. शर्मा (L.N. Sharma) अंकित हो गया है जो कि गलत है. लक्ष्मी नारायण शर्मा और एल.एन. शर्मा एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन के बाद मुझे लक्ष्मी नारायण शर्मा (Laxmi Narayan. Sharma) पुत्र बट्टी प्रसाद शर्मा के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(एल.एन. शर्मा)
(L.N. Sharma)

नया नाम
(लक्ष्मी नारायण शर्मा)
(Laxmi Narayan. Sharma)
पता-C/o. स्व. बट्टी प्रसाद शर्मा, भार्गव निवास,
नेहर वाली माता के सामने, नाका चंद्रबदनी लश्कर,
ग्वालियर, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1383)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स वत्स कॉलोनाईजर एण्ड डवलपर्स, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00085/12, दिनांक 27 जुलाई 2012 है. जो कि 101, साया अपार्टमेन्ट पडाव, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है. जिसमें दिनांक 19 मार्च 2025 को भागीदार श्री सनील भदौरिया पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह भदौरिया (2) श्री अभिषेक भदौरिया पुत्र श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया (3) श्री अच्युत शर्मा पुत्र श्री आर.डी. शर्मा (4) श्री भगवान दास प्रजापति पुत्र श्री किशन लाल प्रजापति (5) श्री एम. हुसेन पुत्र श्री मुनीर हुसेन पाँचों भागीदारों की आपसी सहमति से फर्म का विघटन (समापन) कर फर्म को बंद किया जा रहा है.

मेसर्स वत्स कॉलोनाईजर एण्ड डवलपर्स

सुनील भदौरिया
(भागीदार).

(G-1384)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म M/S "RIDDHIKA STONE CRUSHER" -B-76/2, Vijay Nagar, Lalghati, Bhopal (M.P.) जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/00180/24, दिनांक 9 सितम्बर 2024 में भारतीय भागीदारी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है. उक्त फर्म से श्रीमती नजमा ने अपनी इच्छा से फर्म की भागीदारी से सेवानिवृत्ति ले ली है तथा वर्तमान में फर्म के शेष भागीदार श्री शैलेन्द्र सिंह भदौरिया, श्रीमती राखी भदौरिया के द्वारा ही भागीदारी फर्म का संचालन किया जावेगा.

M/S "RIDDHIKA STONE CRUSHER"
(SHAIENDRA SINGH BHADORIYA)
(भागीदार)

(G-1385)

आम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री विशुद्ध विहार एसोसिएट्स, फेज-II के सम्माननीय साझेदार श्री कच्छेदी लाल जैन का निधन दिनांक 11 अप्रैल 2024 को हो गया. उनके दुखद निधन के कारण वे उपरोक्त साझेदारी फर्म से स्वाभाविक रूप से सेवानिवृत्त माने गए हैं. फर्म के अन्य साझेदारों द्वारा व्यवसाय पूर्ववत् संचालित किया जाएगा. इस संबंध में सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे फर्म से संपर्क करते समय इसे ध्यान में रखें.

मेसर्स श्री विशुद्ध विहार एसोसिएट्स, फेज-II

(SURENDRA KUMAR JAIN)
(भागीदार)

(G-1386)

Add.-108, Old Galla Mandi Road, Katra Bazar, Sagar (M.P.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स मस्तान ग्रुप जिसका पंजीयन क्रमांक 03/31/05/0553/23 व पंजीयन दिनांक 21 मार्च 2023 तथा पता-एम.पी. कलेक्शन 265 सदर बाजार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, सेंधवा जिला बड़वानी है जिसमें प्रथम विलेख दिनांक 7 मार्च 2022 के विलेख अनुसार फर्म में 8 भागीदार (1) रोहित शर्मा पिता राधेश्याम शर्मा (2) इरफान खत्री पिता अब्दुल सत्तार खत्री (3) अब्दुल हमीद पिता हाजी मोहम्मद याकूब (4) मुख्तार खत्री पिता सादिक (5) मोहम्मद इमरान खत्री पिता युनुस खत्री (6) अब्दुल सत्तार खत्री पिता मोहम्मद सलीम (7) इब्राहिम खत्री पिता याकूब खत्री (8) मोहम्मद इसहाक पिता अब्दुल शकूर थे. दिनांक 29 जून 2024 को फर्म के दो भागीदारों क्रमशः इरफान खत्री पिता अब्दुल सत्तार खत्री एवं अब्दुल सत्तार खत्री पिता मोहम्मद सलीम की 28 दिसम्बर 2023 को रोड दुर्घटना में मृत्यु हो गयी उनके स्थान पर उनके वारिस के रूप में 2 नए भागीदार (1) सफीना खत्री पति स्व. इरफान खत्री एवं फातमा खत्री पति स्व. अब्दुल सत्तार फर्म में शामिल किये गये. तत्पश्चात् दिनांक 5 अगस्त 2024 को फर्म में 2 नये भागीदार (1) अब्दुल गफ्फार खत्री पिता मोहम्मद सलीम खत्री एवं (2) अब्दुल हसीब पिता अब्दुल हमीद फर्म में शामिल हो गए तथा फर्म के 2 भागीदार (1) सफीना खत्री पति स्व. इरफान खत्री एवं फातमा खत्री पति स्व. अब्दुल सत्तार फर्म से रिटायर हो गए. अतः वर्तमान में फर्म में शेष 8 भागीदार हैं जो इस प्रकार हैं :- (1) रोहित शर्मा पिता राधेश्याम शर्मा (2) अब्दुल हमीद पिता हाजी मोहम्मद याकूब (3) मुख्तार खत्री पिता सादिक (4) मोहम्मद इमरान खत्री पिता युनुस खत्री (5) इब्राहिम खत्री पिता याकूब खत्री (6) मोहम्मद इसहाक पिता अब्दुल शकूर (7) अब्दुल गफ्फार खत्री पिता मोहम्मद सलीम खत्री (8) अब्दुल हसीब पिता अब्दुल हमीद.

फर्म-मेसर्स मस्तान ग्रुप

रोहित शर्मा

(भागीदार)

(G-1387)

पता-20, देवी अहिल्या मार्ग, सेंधवा, जिला-बड़वानी.

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एम. एंटरप्राइजेस फर्म जिसका पता-501, कॉर्पोरेट हाउस, आर.एन. टी. मार्ग, इन्दौर है. जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00291/14 दिनांक 19 दिसम्बर 2014 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री नितेश वाधवानी पिता स्व. श्री अशोक वाधवानी 2. श्री किशोर वाधवानी पिता स्व. श्री खानचंद वाधवानी थे. तत्पश्चात् दिनांक 1 अप्रैल 2024 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री सुभाष चंद्र जोशी पिता श्री राधेश्याम जोशी भागीदारी फर्म मेसर्स एम. एंटरप्राइजेस में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 6 मार्च 2025 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री किशोर वाधवानी पिता स्व. श्री खानचंद वाधवानी भागीदारी फर्म मेसर्स एम. एंटरप्राइजेस से पृथक् हो गए हैं. प्रथकीय भागीदार ने फर्म मेसर्स एम. एंटरप्राइजेस से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है. एवं दिनांक 1 अप्रैल 2024 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा फर्म का पंजीकृत कार्यालय-प्लॉट नं. बी-7, पी यु-4, स्कीम नं. 54, इन्दौर (म.प्र.) हो गया है.

तर्फ

मेसर्स-एम. एंटरप्राइजेस

1. श्री नितेश वाधवानी

2. श्री सुभाष चंद्र जोशी

(भागीदार).

(G-1388)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम विनय खटोड (VINAY KHATOD) पिता रविन्द्र खटोड था जो कि उसके आधार कार्ड एवं अंकसूची पर अंकित है. किन्तु मैंने मेरे पुत्र का नाम परिवर्तित कर अथर्व खटोड (ATHARV KHATOD) कर लिया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों पर विनय खटोड के स्थान पर उसका परिवर्तित नाम अथर्व खटोड (ATHARV KHATOD) लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(विनय खटोड)

(VINAY KHATOD)

नया नाम

(अथर्व खटोड)

(ATHARV KHATOD)

पिता-रविन्द्र खटोड

(G-1389)

पता-155, इन्द्रा नगर, पंचकुइया रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम शशिकला लुकतुके (SHASHIKALA LUKTUKE) पति स्व. श्री प्रभाकर लुकतुके है, जो की मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक एवं मेरे पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र पर पत्नी के स्थान पर दर्ज है किन्तु मेरे पति स्व. श्री प्रभाकर लुकतुके के सर्विस रिकार्ड में नॉमिनी के रूप में त्रुटिवश मेरा बोलता नाम मनीषा (MANISHA) पति स्व. श्री प्रभाकर लुकतुके दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में सभी दस्तावेजों पर मनीषा (MANISHA) के स्थान पर शशिकला लुकतुके (SHASHIKALA LUKTUKE) पति स्व. श्री प्रभाकर लुकतुके लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(मनीषा)
(MANISHA)

(G-1390)

नया नाम
(शशिकला लुकतुके)
(SHASHIKALA LUKTUKE)
पति-स्व. श्री प्रभाकर लुकतुके
पता-64, गायत्री नगर, केशर बाग रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम रीना बाई चौधरी (REENA BAI CHOUDHARY) पति श्री किशोर चौधरी है, जो कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय-अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा बोलता नाम हेमा (HEMA) पति किशोर चौधरी दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर हेमा (HEMA) पति किशोर चौधरी के स्थान पर रीना बाई चौधरी (REENA BAI CHOUDHARY) पति श्री किशोर चौधरी लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(हेमा)
(HEMA)

(G-1391)

नया नाम
(रीना बाई चौधरी)
(REENA BAI CHOUDHARY)
पति-श्री किशोर चौधरी
पता-77, सिलोटीया, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, दिशित कनौजिया पुत्र राजेश कनौजिया निवासी-मकान नं. ई-600, शबरी नगर कालोनी, पीपुल्स अस्पताल के पास, भानपुर, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरा नाम समस्त शैक्षणिक, दस्तावेज एवं आधार कार्ड में दिशित कनौजिया पुत्र श्री राजेश कनौजिया अंकित है, यह कि मेरे घर का नाम अभिषेक कनौजिया उर्फ छोटू रख दिया था, यह कि उक्त दोनों ही नाम मेरे स्वयं के हैं, अब से मुझे मेरे वास्तविक नाम दिशित कनौजिया से ही जाना एवं पहचाना जाये.

(G-1392)

प्रार्थी
दिशित कनौजिया

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम बस्कर सावले (baskar savle) पिता कैलाश सावले था तथा मेरा विवाह श्री सचिन खेडे के साथ संपन्न हुआ होकर मेरा नाम प्रिया खेडे (priya khede) हो गया है एवं मेरे कुछ दस्तावेज में मेरा नाम त्रुटिवश बरसा खेडे पति सचिन खेडे दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम प्रिया खेडे (priya khede) से जाना व पहचाना जाये.

(G-1393)

प्रार्थिनी
(प्रिया खेडे)
(priya khede)
पति-सचिन खेडे

पता-15, अलोकिया पिथमपुर, इन्दौर रोड, जिला धार (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वंतर सिंह चौहान आत्मज—श्री भाव सिंह चौहान निवासी—म.नं. 584, बडी कराड, बावडीखेड़ा, तहसील कन्नौद जिला—देवास (म.प्र.) का निवासी हूँ, यह कि मेरा वास्तविक नाम वंतर सिंह चौहान (VANTAR SINGH CHOUHAN) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम वन्तरसिंह हो गया है, अब मैं, अपने नये नाम वंतर सिंह चौहान (VANTAR SINGH CHOUHAN) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय—अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम

(वन्तरसिंह)

(VANTERSING)

(G-1394)

नया नाम

(वंतर सिंह चौहान)

(VANTAR SINGH CHOUHAN).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुखिया बाई, मेरा घरेलू नाम है तथा मेरा दस्तावेजी नाम सुक्को बाई (SUKKOO BAI) पति सुमेर सिंह, (SUMER SINGH) ओमकला मंदिर के पास, द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड, जबलपुर (म.प्र.). मैं, अपना नाम सुक्को बाई जो कि, मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट में दर्ज कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सुक्को बाई पति सुमेर सिंह के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुखिया बाई)

(SUKHIYA BAI)

(G-1395)

नया नाम

(सुक्को बाई)

(SUKKOO BAI)

पति—सुमेर सिंह

(SUMER SINGH).

नाम परिवर्तन

मैं, हल्के भैया साहू पुत्र सीताराम साहू निवासी—विवेकानंद वार्ड, गाडरवारा, नरसिंहपुर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश लक्ष्मी प्रसाद साहू नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में हल्के भैया साहू पुत्र सीताराम साहू दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय—अशासकीय—व्यक्तिगत दस्तावेजों में हल्के भैया साहू (HALKE BHAIYA SAHU) पुत्र सीताराम साहू के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(लक्ष्मी प्रसाद साहू)

(G-1396)

नया नाम

(हल्के भैया साहू)

(HALKE BHAIYA SAHU)

पुत्र—सीताराम साहू.

उपनाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम रामकिशोर बोद्ध पिता लखनलाल जनोरिया पूर्व से जाना जाता था अब से समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रामकिशोर जनोरिया पिता लखन लाल जनोरिया के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम

(रामकिशोर बोद्ध)

(G-1397)

नया नाम

(रामकिशोर जनोरिया)

पिता लखनलाल जनोरिया.

पता—153, दुधियाबड़ रोड, तहसील सिवनी मालवा,
जिला होशंगाबाद.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, कोठी महल, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 24 फरवरी 2025

प्रारूप चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1)]

पंजीयक,

लोक न्यास उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष

क्र. 801-रीडर-1-2025.- चूंकि आवेदक राकेश पिता रमेशचन्द्र सौलकी, "संत श्री टेकचंद जी महाराज मानव कल्याण ट्रस्ट" (श्री दामोदरवंशीय जूना गुजराती दर्जी समाज अन्नकुट निधि उज्जैन द्वारा संचालित) कार्यालय- बी-181, अभिलाषा कालोनी, देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 27 मार्च 2025 को दोपहर 03:00 बजे स्थान-सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के सामने स्थित संयुक्त तहसील भवन कोठी महल के भू-तल के कक्ष क्रमांक-5 में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोठी महल जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 27 मार्च 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा :-

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	—	"संत श्री टेकचंद जी महाराज मानव कल्याण ट्रस्ट"
कार्यालय	—	बी-181, अभिलाषा कालोनी, देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.).
अचल संपत्ति	—	वर्तमान में न्यास ने अपने पास अचल संपत्ति शून्य दर्शाई है.
चल संपत्ति	—	वर्तमान में न्यास ने अपने पास चल संपत्ति 50,000/- दर्शाई है.

(G-1398)

लक्ष्मीनारायण गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश
मंदसौर, दिनांक 24 फरवरी 2025

नियम-चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर के समक्ष

प्र.क्र. 08-बी-113(1)-24-25.- चूंकि सरदार पटेल युवा जन कल्याण ट्रस्ट मंदसौर द्वारा अध्यक्ष रविन्द्र पिता गुलाबचंद पाटीदार ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21 मार्च 2025 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है।

अतः, शिवलाल शाक्य पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 21 मार्च 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं, अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करे और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि समाप्ति पश्चात् प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा:-

अनुसूची

(संपत्ति का विवरण)

अचल सम्पत्ति	—	निरंक
चल सम्पत्ति	—	निरंक

(G-1399)

शिवलाल शाक्य, पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

गौहरगंज, दिनांक 20 मार्च 2025

प्ररूप क्र. 5

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयक गौहरगंज, जिला रायसेन के समक्ष

यतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब, इसलिये, मैं चन्द्रशेखर श्रीवास्तव, लोक न्यासों का पंजीयक गौहरगंज, जिला रायसेन मेरे न्यायालय में 2025 के मार्च के 20 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) यथाअपेक्षित, मामले में जाँच करने को प्रस्तावित करता

एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	—	श्री रामदेव (पीर बाबा)/मंदिर ट्रस्ट औबेदुल्लागंज
कार्यालय का पता	—	वार्ड न. 2 महावीर कालोनी, औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन
अचल संपत्ति	—	निरंक
चल संपत्ति	—	नगद राशि रूपये 11,000/- (ग्यारह हजार रूपये मात्र) जमा.

(G-1400)

चन्द्रशेखर श्रीवास्तव, पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 23 जनवरी 2025

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र. परि-81-2025.- मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी ताल्लुक, तहसील इछावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1497 तथा दिनांक 18 अगस्त 2010 है. संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु संस्था पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया गया. संस्था पर्यवेक्षक द्वारा लिखित में सूचित किया गया है कि संस्था विगत 02 वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है. संस्था सचिव द्वारा संस्था को चालू करने में रूचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है. संस्था पर्यवेक्षक द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है. अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी ताल्लुक, तहसील इछावर, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया गया है. अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 2(क) एवं धारा 69 2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी ताल्लुक, तहसील इछावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1497 तथा दिनांक 18 अगस्त 2010 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी ताल्लुक तहसील इछावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1497 तथा दिनांक 18 अगस्त 2010 को 03 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 23 जनवरी 2025 को जारी किया गया.

(G-1401)

सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीय

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहक, 1962 के नियम, 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-क्यू- उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इंदौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मिलनश्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर./ 455, दिनांक 26-9-1987	परिसमापन/2003/4496, /दि. 23-8-2003
2	कोहिनूर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर./ 475, दिनांक 27-11-1982	परिसमापन/2004/752, /दि. 10-9-2004

सहकारी अधिनियम की धारा 77(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, श्रमशिविर जेल रोड, इंदौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधिकार गिन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियाँ बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(G-1402)

संजय कुचनकर, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

इन्दौर, दिनांक 20 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू-कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रोग्रेसिव साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	09/5-9-2013	2210/31-3-2023
2	श्री भारतीयम साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2663/7-3-2014	2211/31-3-2023
3	राधाकृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1748/30-11-1995	2212/31-3-2023
4	कान्हा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2037/4-2-2014	2213/31-3-2023
5	श्री रणजीत साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2729/5-9-2013	2214/31-3-2023
6	बालाजी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	36/5-9-2013	2215/31-3-2023
7	केबल आपरेटर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	47/5-9-2013	2216/31-3-2023
8	ओम श्री गणेश साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	227/5-9-2013	2217/31-3-2023
9	श्री हरियाणा गौड़ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	93/5-9-2013	2218/31-3-2023
10	लाईफ लाइन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1787/3-8-1996	2219/31-3-2023
11	वासुदेव यादव साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	94/5-9-2013	2220/31-3-2023
12	वैष्णोदेवी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	599/20-2-1996	2516/3-7-2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदनुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1403)

विजय दिशोरिया, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 7 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू-कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक-परिसमापन-2025-415 धार, दिनांक 6 मार्च 2025 से संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुमानपुरा	1354/27-2-2013	3326/27-6-2022
2	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिमलावदा	1120/13-9-2002	3325/27-6-2022

(1)	(2)	(3)	(4)
3	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोंगरगांव	1233 / 11-12-2007	3324 / 27-6-2022
4	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाग	1744 / 9-2-2018	3323 / 27-6-2022
5	सेवा प्रदाता बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बखतगढ़.	1699 / 13-6-2017	3332 / 27-6-2022
6	डॉ. अंबेडकर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., संदला.	1277 / 7-7-2011	3331 / 27-6-2022
7	शा. महाविद्यालय कर्मचारी परस्पर साख सह. संस्था मर्या., धार.	344	20-5-2022
8	माया साख सहकारी संस्था मर्या., माकनी	513 / 30-4-2014	3330 / 27-6-2022
9	श्रीराम बांस उद्योग सहकारी संस्था मर्या., धार	571	1600 / 24-8-200

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम, 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 7 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1404)

जया मुकाती, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

धार, दिनांक 11 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू.-कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक-परिसमापन-2025-422 धार, दिनांक 6 मार्च 2025 से संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., डोंगरी दसौडा तह. धरमपुरी.	338 / 31-3-1968	88 / 12-1-2012
2	चक्रधारी संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., डोंगरी दसौडा (धरमपुरी).	323 / 14-12-1963	88 / 12-1-2012
3	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जाबडा (बदनावर).	675 / 20-3-1986	1139 / 14-8-2013
4	अन्नपूर्णा को.ऑप.एग्रो सहकारी संस्था मर्या., धार	935 / 13-5-1994	643 / 18-4-2013
5	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पूरा	1113 / 15-7-2002	2372 / 23-4-2021
6	मांझी सरदार सरोवर डूब प्रभावित मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., निसरपुर.	1709 / 11-8-2017	2253 / 22-4-2021

(1)	(2)	(3)	(4)
7	शुभलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., कुक्षी	1450/2-5-2012	2248/22-4-2021
8	सामु. ग्राम विकास साख सहकारी संस्था मर्या., पाडल्या	1501/27-3-2014	2219/22-4-2021
9	धन संचय साख सहकारी संस्था मर्या., कुक्षी	1474/18-1-201	2249/22-4-2021
10	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिलकुआं	1027/8-1-1999	2251/22-4-2021
11	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरमखेड़ी	1189/17-8-2005	124/19-1-2023
12	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडोदिया	1542/30-9-2014	124/19-1-2023
13	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पडूनीकलां	744/20-1-1990	124/19-1-2023
14	श्री माही प्राथ. उप. भंडार मर्या., सरदारपुर	1357/5-3-2013	124/19-1-2023
15	हरि. चर्म. सहकारी संस्था मर्या., बरमण्डल (सरदारपुर)	679/3-9-1986	122/19-1-2023
16	प्राथमिक बुनकर एवं विवर्स सह. संस्था मर्या., रिंगनोद.	402/19-5-1944	124/19-1-2023
17	लक्ष्मीबाई यातायात सहकारी संस्था मर्या., तिरला (राजगढ़).	822/28-7-1992	124/19-1-2023
18	माँ बाघेश्वरी सरदार सरो. डूब प्रभा. मत्स्य सह. संस्था मर्या., चिखल्दा.	1711/18-3-2017	2252/22-4-2021
19	माँ नर्मदा विस्थापित मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., रतवा.	1713/22-8-2017	2252/22-4-2021

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम, 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1405)

राजाराम बघेल, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

धार, दिनांक 7 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू.-कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक-परिसमापन-2025-424 धार, दिनांक 6 मार्च 2025 से संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बालाजी ईट भट्टा सहकारी संस्था मर्या., तिरला	810/27-3-1992	424/6-3-2025
2	मालवा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमि., धार	1313/19-3-2012	424/6-3-2025

(1)	(2)	(3)	(4)
3	प्रतिभा सिन्टेक्स कर्मचारी फेयर ट्रेड सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर.	620 / 21-10-2015	424 / 6-3-2025
4	चर्मोद्योग स्वच्छेदन सहकारी संस्था मर्या., गुलझरा	972 / 9-7-1975	424 / 6-3-2025
5	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुन्द्रेल	608 / 24-8-1984	424 / 6-3-2025
6	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामनोद	1240 / 4-2-2008	424 / 6-3-2025
7	धार सहकारी मुद्रणालय मर्या., धार	500 / 20-6-1982	424 / 6-3-2025
8	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भवान्या बुजुर्ग	597 / 8-4-1984	424 / 6-3-2025
9	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टाण्डाखेडा	1048 / 25-2-2000	424 / 6-3-2025
10	आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., धामनोद	411 / 28-11-1979	424 / 6-3-2025
11	आदिनाथ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., मनावर	1323 / 30-5-2012	424 / 6-3-2025
12	नित्यानंद प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., धार	1329 / 22-9-2012	424 / 6-3-2025
13	बीज भण्डार एवं कृषि सहकारी संस्था मर्या., बेकपुरा (मेहगांव).	645 / 15-3-1985	424 / 6-3-2025
14	माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तारापुर	1296 / 29-11-2011	424 / 6-3-2025
15	आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., तारापुर	337 / 30-3-1968	424 / 6-3-2025
16	आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गुजरी	245 / 14-2-1964	424 / 6-3-2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम, 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 7 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1406)

योगेन्द्र शर्मा, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

धार, दिनांक 7 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू 01.-कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक-परिसमापन-2025-417 धार, दिनांक 6 मार्च 2025 से संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भगवान मोटर्स साख सहकारी संस्था मर्या., पीथमपुर	1264 / 10-11-2010	2212 / 22-4-2021
2	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कडोलाबुजुर्ग	1592 / 5-6-2015	2530 / 20-5-2022

(1)	(2)	(3)	(4)
3	महाराणा प्रताप साख सहकारी संस्था मर्या., लेबड़	1418/1-8-2014	2208/22-4-2021
4	एकता प्राथ. उप. भण्डार मर्या., पीथमपुर	1337/22-11-2012	1669/4-8-2016
5	जय हनुमान प्राथ. उप. भण्डार मर्या., पीथमपुर	1368/26-4-2013	13/2-1-2019
6	हरिओम प्राथ. उप. भण्डार मर्या., पीथमपुर	1363/20-3-2013	2202/22-4-2021
7	गीतादेवी प्राथ. उप. भण्डार मर्या., पीथमपुर	1608/15-7-2015	2201/22-4-2021
8	जनता प्राथ. उप. भण्डार मर्या., पीथमपुर	1359/7-3-2013	2205/22-4-2021
9	केसर प्राथ. उप. भण्डार मर्या., पीथमपुर	1371/7-5-2013	2204/22-4-2021
10	माँ वैष्णोदेवी प्राथ. उप. भण्डार मर्या., पीथमपुर	1358/5-3-2013	2203/22-4-2021
11	जयदीप साख सह. संस्था मर्या., पीथमपुर	1483/1-8-2014	2209/22-4-2021

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम, 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदरों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1407)

सौरभ प्रताप सिंह, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

धार, दिनांक 7 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू-कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक-परिसमापन-2025-412 धार, दिनांक 6 मार्च 2025 से संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., अखाडा तह. कुक्षी.	261/19-4-1964	88/12-1-2012
2	देवीसागर मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., नौगांव.	1050/25-2-200	88/12-1-2012
3	बाग बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाग	1250/6-4-2009	1139/14-8-2013
4	रंगाई-छपाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बाग	152/21-1-1990	643/18-4-2013
5	आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., बाग	259/19-4-1964	2372/23-4-2021
6	बाघेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्या., बाग	1546/7-10-2014	2253/22-4-2021
7	ग्रामीण विकास साख सहकारी संस्था मर्या., माचकदा	1582/13-2-2015	2248/22-4-2021

(1)	(2)	(3)	(4)
8	सर्वोदय खादी ग्रामोद्योग सहकारी संस्था मर्या., धार	73/29-2-1960	2219/22-4-2021
9	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलसाड़ाखुर्द	1545/4-10-2014	2249/22-4-2021
10	जनप्रगति साख सहकारी संस्था मर्या., धार	1581/31-12-2014	2251/22-4-2021
11	बेजनाथ दीन. अन्त्यो. अनाज एवं फल प्रसंस्करण बहु. सहकारी संस्था मर्या., बदनावर.	1759/9-5-2018	124/19-1-2023
12	पटेल बुनकर सहकारी संस्था मर्या., तिरला (सरदारपुर)	917/24-12-1992	124/19-1-2023
13	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साजोद तह. सरदारपुर.	685/25-6-1987	124/19-1-2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम, 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 7 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1408)

जी.एस. कनेश, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

धार, दिनांक 7 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू.-कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक-परिसमापन-2025-413 धार, दिनांक 6 मार्च 2025 से संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., कुक्षी	14/19-2-1951	123/19-1-2023
2	आदिवासी चटाई-बुनाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरवाली.	81/30-4-1960	123/19-1-2023
3	आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., उमरी	260/3-8-1964	127/19-1-2023
4	आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मेरती	293/15-11-1965	123/19-1-2023
5	आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नरवाली	383/26-10-1982	127/19-1-2023
6	मांझी सिंघाड़ा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कुक्षी.	676/24-3-1986	123/19-1-2023
7	प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी संस्था मर्या., डही	733/4-11-1988	123/19-1-2023

(1)	(2)	(3)	(4)
8	महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्या., लोहारी	806/1-11-1991	123/19-1-2023
9	अन्नापूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ननोदा	1248/28-2-2009	2500/20-5-2022
10	साई कृपा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., धार.	1335/7-11-2012	2496/20-5-2022
11	श्री सेवा साख सहकारी संस्था मर्या., कुक्षी	1420/8-1-2014	123/19-1-2023
12	बिलोदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलोदा	1480/8-1-2014	120/19-1-2023
13	श्री उत्तम साख सहकारी संस्था मर्या., कुक्षी	1613/19-8-2015	2531/20-5-2022
14	नरझली किसान ऐग्रीटेग सहकारी संस्था मर्या., उही	1640/3-9-2016	123/19-1-2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम, 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदनुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 7 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1409)

प्रतापसिंह कनेश, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

धार, दिनांक 7 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू-कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक-परिसमापन-2025-420 धार, दिनांक 6 मार्च 2025 से संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बखतगढ़	395/25-4-1978	2383/23-4-2021
2	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काछीबडोदा	573/1-4-1984	5445/29-11-2021
3	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कडोदकला	1177/7-5-2004	5445/29-11-2021
4	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुराडका	1201/12-13-2000	2365/23-4-2021
5	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कंकराज	1586/26-2-2013	2255/22-4-2021
6	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भैसौला	1683/30-3-2017	2382/23-4-2021
7	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कनवासा	2813/10-9-2018	2375/23-4-2021
8	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाना	1526/15-7-2014	2363/23-4-2021

(1)	(2)	(3)	(4)
9	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खण्डीगारा	1341/3-1-2013	2357/23-4-2021
10	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गवला		2528/20-5-2021
11	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कराडिया	1162/11-11-2003	2351/23-4-2021
12	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोविंदपुरा		2363/23-4-2021
13	श्री गणेश आजी. बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरवास.	1252/6-22-2009	2331/23-4-2021
14	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडा	672/29-3-1985	2366/23-4-2021

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम, 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 7 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1410)

कुसुम पंवार, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

धार, दिनांक 7 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू-कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शासकीय कर्मचारी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था, मर्यादित, धार.	212/19-8-1964	119/19-1-2023
2	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, धार के कर्मचारियों को साख सहकारी संस्था मर्यादित, धार.	523/25-3-1983	119/19-1-2023
3	राजीव गांधी सफाई कामगार एवं यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, धार.	937/26-5-1994	121/19-1-2023
4	आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, धार.	1044/18-11-1999	121/19-1-2023
5	माँ वाद्धदेवी गेम्स एवं फर्नीचर गुडस सहकारी संस्था मर्यादित, धार.	1170/19-3-2004	121/19-1-2023
6	श्री धनकुबेर साख सहकारी संस्था मर्यादित, धार	1458/8-1-2014	119/19-1-2023
7	आजीविका साख सहकारी संस्था मर्यादित, धार	1487/8-1-2014	119/19-1-2023

(1)	(2)	(3)	(4)
8	जय श्री गणेश साख सहकारी संस्था मर्यादित, धार	1491 / 10-2-2014	119 / 19-1-2023
9	महाराजा भोज साख सहकारी संस्था मर्यादित, धार	1503 / 29-5-2014	119 / 19-1-2023
10	श्री साईं कृषि सामग्री क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, धार.	1509 / 29-5-2014	121 / 19-1-2023
11	साईं उत्तम साख सहकारी संस्था मर्यादित, धार	1613 / 19-8-2015	119 / 19-1-2023
12	कलश साख सहकारी संस्था मर्यादित, धार	1697 / 13-6-2017	119 / 19-1-2023
13	श्री मांझी ईट भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, धार.	1718 / 9-10-2017	121 / 19-1-2023
14	श्री गणेश मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, धार	1721 / 9-10-2017	121 / 19-1-2023
15	माँ शारदा औद्योगिक एवं प्रसंस्करण सहकारी संस्था मर्यादित, धार.	1723 / 10-9-2017	121 / 19-1-2023
16	आदिवासी महिला विकास साख सहकारी संस्था मर्यादित, राजगढ़.	1754 / 15-2-2018	3328 / 27-6-2022

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम, 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 7 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1411)

सविता खराड़े, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2025—चैत्र 14, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

(कुछ नहीं)